राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2078/2014/जयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत–एच, जयपुर .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स पी.सी.ढ़ढ़ढ़ा एक्सपोर्ट प्रा.लि.
3815, एमएसबी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

अनुपस्थित .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 29.05.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी–II, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे''अपीलीय अधिकारी'' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 76/अ.प्रा.–II/आरवीएटी/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 04.04.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–एच, जयपुर (जिसे आगे ''कर निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.02.2013 में धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति को रुपये 5000/– तक की ही पुष्टि की है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का आलौच्य अवधि का कर निर्धारण दिनांक 12.02.2013 को किया गया था, जिसमें प्रशमन योजना के तहत व्यवहारी की कम्पोजिशन राशि रुपये 39930/– निर्धारित की गयी है जिसके अदेय रहने के कारण धारा 55 के तहत ब्याज 11,979/– आरोपित किया गया है। इसके अतिरिक्त वैट–10ए प्रस्तुत न करने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति रुपये 39,930/– आरोपित की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवसायी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 04.04.2014 द्वारा प्रत्यर्थी की अपील आंशिक स्वीकार कर शास्ति राशि को कम किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश को त्रुटिपूर्ण बताया एवं अपीलार्थी–राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी–व्यवहारी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है।

5. एकपक्षीय बहस सुनी गई व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण आदेश में प्रत्यर्थी व्यवहारी पर त्रैमासिक विवरण पत्र प्रस्तुत न करने के

लगातार.....2

अपराध में वर्ष 2010–11 में धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित की गई थी परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के त्रैमासिक विवरण पत्र प्रस्तुत करने का दायित्व न होने से आरोपित शास्ति को रुपये 5,000/– तक यथावत रखा था। अपीलीय आदेश विधिक प्रावधानों के अनुसार उचित है क्योंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी प्रशमन योजना के तहत प्रमाण पत्र धारक होने से वे मासिक करदाता की श्रेणी में नहीं थे बल्कि केवल वार्षिक विवरण पत्र पेश किया जाना था जिसके लिये अधिकतम रुपये 5,000/– की शास्ति आरोपणीय थी। ऐसी स्थिति में अपीलीय आदेश विधिसम्मत होने से इसकी पुष्टि करते हुये राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

22/5/2017

(के.एल.जैन)
सदस्य